



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ़ 19, 1937

No. 1478]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASADHA 19, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

का.आ. 1870(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ) तारीख 03.04.2013 में जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की "तहसील लूनी"

(क) स्तम्भ 2 में गाँव "खाराबेरा पुरोहितान्"

(i) स्तम्भ 3 के सर्वेक्षण संख्या "434/3", के सामने स्तम्भ 4 में क्षेत्रफल "0.0464" के स्थान पर क्षेत्रफल "शुन्य" रखा जायेगा ।

(ख) स्तम्भ 2 में गाँव "सालावास"

(i) स्तम्भ 3 के सर्वेक्षण संख्या "678", के सामने स्तम्भ 4 में क्षेत्रफल "0.0308" के स्थान पर क्षेत्रफल "शुन्य" रखा जायेगा ।

[फा. सं. आर-31015/4/13-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

S.O. 1870(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and

Natural Gas, S.O. 941(E) dated 03.04.2013, published in Part II, section 3, sub-section (ii), of the Gazette of India, namely :—

In Schedule to the said notification of Tehsil Luni:-

- (A) against village “Khara Bera Purohitan” , in column 2,
 - (i) In survey no. “434/3”, in column 3, for the areas “0.0464”, in column 4, the area “NIL” shall be substituted.
- (B) against village “Salawas” , in column 2,
 - (i) In survey no. “678”, in column 3, for the areas “0.0308”, in column 4, the area “NIL” shall be substituted.

[F. No. R-31015/4/13-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.